

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, 4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ

ऊर्जा की आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :.....

2. पिता / पति का नाम :.....

3. व्यवसाय :.....

4. पता

(क) संसूचना के लिए.....

.....

.....

(ख) जहां संयोजन की अपेक्षा है :.....

.....

(स्थान की पहचान के लिए भूमि चिन्ह निर्दिष्ट करें)

दूरभाष के लिए.....

(ग) स्थायी पता :.....

.....

.....

दूरभाष सं. :.....

5. भू- खण्ड का आकार वर्ग फुट

आच्छादित क्षेत्र वर्ग फुट

6. कुल भार : के.डब्लू/के.वी.ए./एच.पी.....

7. आपूर्ति का उददेश्य.....

.....

8. प्रक्रिया शुल्क का विवरण :

(क) धनराशि :

(ख) ढंग :..... चेक/ड्राप्ट/नकद

I. दिनांक :.....

II. बैक का नाम :.....

(पचास किलोवाट से अधिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विद्युत आपूर्ति का अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा निम्नलिखित सूचना दी जानी है।)

9. इकाई का प्रकार फर्म (अर्थात् स्वामित्व/भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/समिति / सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम)

आवेदक का नवीनतम फोटो
चिपकाए
(राजपत्रित अधिकारी/बैंक
अधिकारी)
ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा
प्रमाणित)

10. औद्योगिक परिसर का विकास करने वाले संस्था का नाम(उदाहरण के लिए उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास समिति/स्वयं/औद्योगिक विभाग आदि)
11. कब्जा—पत्र या अनापत्ति प्रमाण—पत्रजो संस्था द्वारा जारी की गयी हो (प्रति संलग्न) संख्यादिनांक
12. क्या आपूर्ति की आवश्यकता स्वतन्त्र फीडर के माध्यम से है.....
13. क्या उक्त इकाई कभी किसी अन्य स्थान पर संचालित थी या संयोजन के लिए आवेदन की थी? (कृपया निम्नलिखित सूचना दें)
- (क) स्वीकृत भार.....
 - (ख) सेवा संयोजन संख्या.....
 - (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो).....
 - (घ) पता
14. यदि भूतकाल में परिसर के लिए विद्युत के संयोजन का अनुरोध किया गया था, यदि हाँ, तो विद्युत संयोजन का विवरण दें।
- (क) इकाई का नाम.....
 - (ख) सेवा संयोजन संख्या.....
 - (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो).....
15. वह उददेश्य या प्रक्रिया जिसके लिए विद्युत भार की अपेक्षा की जाती है.....
-
16. प्रक्रिया की प्रकृति
-
17. (क) उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकरण संख्या: (प्रति संलग्न की जाएगी)
-
- (ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण—पत्र (प्रति संलग्न की जाए.....)
18. इकाई का वित्तीय पोषण करने अभिकरण का नाम (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम/पिकप/बैंक/स्वयं काई अन्य)
-
19. उत्पादन के प्रारम्भ का प्रस्तावित दिनांक
-
20. क्या पास—पड़ोस में और कोई इकाई कार्यरत है। यदि हों तो उसका नाम और पता दे.....
-
21. कृपया समीपस्थ विद्युत उपकेन्द्र का वोल्टेज अनुपात और क्षमता और इकाई से उसकी दूरी विनिर्दिष्ट करें.....
-

संलग्नक :

1. कार्य-पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट (बी.ओर एल. फार्म)।
2. परिसर के विधिपूर्ण अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य। यदि आवेदक परिसर का स्वामी नहीं है, तो अनुज्ञिधारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र संलग्न किया जाए।
3. कारखाना/उद्योग/परिसर/प्रतिष्ठान/गृह मानवित्र जहां आपूर्ति अपेक्षित है। मीटर बाक्स की अस्थाई स्थिति इंगित की जाए।
4. भुगतान की रसीद यदि नकद/चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो।
5. कम्पनी की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए निदेशक बोर्ड के उद्योग प्रस्ताव के मामले में।

टिप्पणी—

1. एम.डी.आई. मीटर रहित उपभोक्ताओं के मामले में घरेलू संवर्ग में संयोजित भार अनुबन्धित भार का 200 प्रतिशत और वाणिज्यिक संवर्ग में अनुबन्धित भार का 133 प्रतिशत हो सकता है।
2. अपने हित में कृपया परिसर को खाली करने के पूर्व आप अपने विद्युत आपूर्ति को स्थायी रूप से वियोजित कराना सुनिश्चित करें और परिसर को खाली करने के पूर्व खण्ड से आपत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
3. विद्युत संयोजन को परिसर के स्वामित्व के सबूत के रूप में नहीं माना जायेगा।

घोषणा

मैं/हम सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूँ/देते हैं कि :

- (क) मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम अनुज्ञिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनांक..... से 2 वर्षों के अन्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति लेने और इस प्रकार आपूर्तित ऊर्जा और टैरिफ आदेश में उपर्युक्त दरों पर अन्य सभी प्रकार का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ/रखते हैं।
- (ख) मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञिधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्हीं उपांतरणों सहित और विद्युत अधिनियम 2003 के उपलब्धों का तथा इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली से बाध्य होने को सहमत हूँ/है।
- (ग) मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबन्धों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में, अनुज्ञिधारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथित वितरण संहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।
- (घ) मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञिधारी को आपूर्ति में किसी विधि/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियंत्रण से परे है, उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।
- (ङ) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात् इस संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

- (च) मैं/हम आगे इस बात पर सहमत है कि मेरे/हमारे द्वारा दिए गये इस घोषणा पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किए गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।
- (छ) मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में दिए गये सभी विवरण मेरे/ हमारे ज्ञान में सत्य है। यदि कोई सूचना किसी पश्चातवर्ती की दिनांक पर गलत पायी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति को रोक देने/काट देने, जैसी स्थिति हो, का अधिकारी होगा।
- (ज) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग नहीं है। दूसरे षट्ठो में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारी मुझे/हम प्रदत्त का उपयोग विधि और प्राधिकार के अनुसार किया जाता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी को समझने या आषंका करने का युक्तियुक्त आधार है कि उपकरण के अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग कोई ढंग है, तो अनुज्ञप्तिधारी का अभिहित प्राधिकारी सामान्य परीक्षण और उपकरण, मीटर और वायरिंग का परीक्षण करने के लिए परिसर पर प्रवेष करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (झ) मैं/हमारे विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 में विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देने का वचन देता हूँ/देते हैं कि जब कभी मैं उस परिसर को खाली करने का आषय रखूँगा, जिसके लिए विद्युत संयोजन ग्रहण किया जा रहा है।

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक का हस्ताक्षर
(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जाएगा)

1. प्राप्त आवेदन की तारीख.....
2. स्वीकृत अनुबन्धित भार.....
3. आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख.....
4. उपभोक्ता सं0 / संयोजन सं0.....
5. मीटर सं.....

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

आपूर्ति की अध्येक्षा के लिए श्री/श्रीमतीका आवेदन—पत्र, जो सभी सम्बन्धों में पूर्ण है। निम्नलिखित कमियां हैंको प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदक को सभी भावी पत्राचार में प्रयुक्त किए जाने के लिए निर्देश सं.....दिया जाता है।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर